न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 177 / 2020

ताहिर पुत्र हसमल जाति मेव निवासी ग्राम झण्डीपुर तहसील पहाडी

प्रार्थी

बनाम

1. आसूदीन पुत्र बुद्धी
2. अयूब
3. ईशा पिसरान मुन्शी
4. गुलेखां पत्नि अख्तर
5. जुबेर पुत्र रसूला
6. जाकर पुत्र हसमल
7. जानमौहम्मद पुत्र रसूला
8. तौफिक पुत्र अब्दुल
9. बसकरी पत्नि युनुष
10. मन्नी पत्नि रसूला
11. मुबारिक पुत्र रसूला
12. मूसा पुत्र मुन्शी
13. मौहम्मदा पुत्र बुद्धी जाति मेव निवासी ग्राम झण्डीपुर तहसील पहाडी
14. श्रीमान तहसीलदार साहब (भूमि धारक) तहसील पहाडी।
15. श्रीमान उप पंजीयक महोदय, पहाडी।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

1. श्री सतीश शर्मा वकील प्रार्थी
2. श्री प्रमोद शर्मा वकील अप्रार्थीगण

दिनांक :– 08.02.2021

निर्णय

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 393/2.04, 397/0.60, 399/0.25 है0 बांके ग्राम झण्डीपुर तहसील पहाडी में स्थित है। विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सम्मलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थी अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है एवं मौके पर कब्जा व काश्त है। आराजी मुत0 का खाता सम्मलित होने के कारण करने में परेशानी होती है तथा सम्मलित खाता एवं काश्त करना अब सम्भव नहीं रहा क्योकि वक्त काश्त आपस में तनाजा रहता है तथा राज लगान अदा करने में भी परेशानी रहती है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से विधिवत विभाजन करने को दिनांक 25.11.2020 को कहा तो अप्रार्थीगण ने विभाजन कराने से साफ इन्कार कर दिया विधि वजह प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण आराजी मुतदाविया का विभाजन मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में कराकर अपने हिस्से का अलग–अलग खाता एवं राज लगान कायम करा पाने का अधिकारी है। प्रार्थी आराजी मुत0 के अपने हिस्से को शान्ति पूर्व तरीके से काश्त करता चला आ रहा है। आराजी मुत0 सम्मलित होने की वजह से अप्रार्थीगण कब्जे काश्त प्रार्थी में मजाहमत व मदाखलत करते है और आराजी को बिना विभाजन कराये दीगर व्यक्तियों को रहन वय मुन्तकिल करना चाहते है। जिसकी धमकी दिनांक 25.11.2020 को स्पष्ट शब्दो में ग्राम झण्डीपुर तहसील पहाडी में दी है। यदि अप्रार्थीगण अपने धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को अपरमित क्षति होगी । विधि वजह प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा से पाबन्द करा पाने का अधिकारी हैं। प्राईमा फैसाई केस व सुविधा का सन्तुलन, अपरमित क्षति मुझ प्रार्थी के पक्ष में प्रकट होती है। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें कि वे कब्जे काश्त प्रार्थी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत न करें बिना विभाजन कराये आराजी को रहन वय मुन्तकिल न करे प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल न करें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण जरिये वकील न्यायालय में उपस्थित आये तथा दिनांक 08.01.2021 को जबाब इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 393/2.04, का खातेदार जिसको दावे मे अप्रार्थी संख्या 4 जाकर 1/8 का हिस्सेदार है। जिसका रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 17.08.2020 को मुझ प्रार्थी दावे में अप्रार्थी संख्या 11 को किया हुआ है। जिसका नामन्तरण अप्रार्थी संख्या 11 के हक में नहीं हुआ है तथा प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगणों द्वारा मिलकर बदनियती से अप्रार्थी संख्या 11 के नाम दाखिल खारिज को रोकने के उद्देश्य से किया गया है। आराजी से संबन्धित एक विभाजन का दावा न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष दिनांक 21.09.2020 को प्रस्तुत किया था तथा अप्रार्थी संख्या 11 से राजीनामा कर दावा वापिस लेने के लिये एक मुश्त राशि

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

ली गई। जिसमें तय हुआ कि अप्रार्थी संख्या 11 अपने आराजी के बयनामा के आधार पर दाखिल खारिज खुलवाने के लिये कार्यवाही कर सकता है। परन्तु वादी द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर अपना दावा यह कहते हुए की अब हमारे मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं रहा है। दावा वादी वापिस लिया गया है। प्रार्थी के मन में फिर से बदयान्ती आ गई है तथा पुनः पैसों की नाजायज मांग करने लगा । पैसे न देने पर उक्त आराजी पर पुनः दावा प्रस्तुत कर स्टे लगाने की ऐलानिया धमकी दी तथा न्यायालय श्रीमान के समक्ष पुनः दावा प्रस्तुत कर दिया गया है। हम प्रार्थीगण अपने–अपने हिस्से की आराजी पर बतौर खातेदार काबिज रहकर काश्त कर रहे है तथा हम विधिवत विभाजन कराने को तैयार है। उक्त दावा वादी ने सिर्फ स्टे लेने की उद्देश्य से किया है। जिसे अप्रार्थी संख्या 11 का दाखिल खारिज रोका जा सकें व दबाब बनाकर फिर से पैसे ऐठे जा सकें। अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया ।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरण :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण में विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सम्मिलित खातेदारी की आराजी है। आराजी के संबंध में प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत किया था। जिसको प्रार्थी द्वारा दिनांक 18.11.2020 को राजीनामें के आधार पर विड्रो कर लिया गया था। प्रार्थी ने पुनः इस दावे कों राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। जिसका मूल उद्देश्य अप्रार्थी संख्या 11 को परेशान करना प्रतीत होता है। क्योंकि अप्रार्थी संख्या 11 ने अप्रार्थी संख्या 6 जाकेर से जमीन खरीदी है। एवं प्रार्थी उसका नामान्तरण न खुले इस नियत से बार बार दावा प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को महज परेशान करने की नीयत से ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थीगण में निहित है।

2. **सुविधा सन्तुलन :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सम्मिलित खातेदारी की आराजी है। प्रार्थी द्वारा पुनः इस दावे कों राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। जिसका मूल उद्देश्य अप्रार्थी संख्या 11 को परेशान करना प्रतीत होता है। अगर अप्रार्थी संख्या 11 का नामान्तरण नहीं खुलता है तो असुविधा भी अप्रार्थी संख्या 11 को ही अधिक होगी। अतः सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थी में ही निहित है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

3. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी की अपेक्षा अप्रार्थी में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थी को ही होगी।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (भरतपुर).

Scanned with OKEN Scanner